

#### असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 2770]** No. 2770] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 2018/आषाढ़ 29 1940 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 2018/ASHADHA 29, 1940

### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2018

का.आ. 3545(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपित्त या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपित्त या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

### प्रारूप अधिसूचना

कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य 402.395 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जिले के अगस्थेश्वरम, थोवालई, कलकुलम और विलावंकोड तालुकों में स्थित है। अत्यधिक जैविक

4165 GI/2018 (1)

संभावत्ता होने से, कन्याकुमारी वन संभाग के बड़े भाग को कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था जिसके अन्तर्गत जी.ओ.(एमएस) सं. 128(ई एवं एफ) दिनांक 20.11.2007 के द्वारा 40239.55 हेक्टेयर या 402.395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। कन्याकुमारी संभाग भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर लगभग 77° 10' से 77° 35' पूर्व देशांतर और 8°5' से 8°35' उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है

और, हमारे देश में पश्चिमी घाट फूलों के लिए सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है जहां फूल पौधों की कम से कम 3500 प्रजातियों (भारत में फूल पौधें 27% है) है। यहां 58 स्थानिक जेनेरा हैं जिसमें 47 मोनोटायपिक है। नायर (1996) के अनुसार अगस्थियमलई पहाड़ियों (अरियानकवु पास से अरालवईमोज़ी पास तक) में लगभग 189 स्थानिक प्रजातियाँ हैं। स्थानिक के जनटिक संसाधनों जैसे पिपेर प्रजाति, गर्किनिया, इयगेनिया, इक्सोरा, हीप्टागे, कलामुस, अमुर्फोफाल्लुस और दीओस्कोरिया यहां अभिलिखित की गई है। कई स्थानिक औषधीय और संकटापन्न पौधे इस स्थान की कुछ प्राकृतिक समादा भी हैं।

और, कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाटों का भाग होने से यह प्रवासी पिक्षयों की 14 प्रजातियों और मछिलयों सरीसृपों और उभयचरों सिहत कम से कम स्तनपाइयों के 40 प्रकार, पिक्षयों की लगभग 120 प्रजातियों सिहत वन्यजीव में समृद्ध है। एशियाई हाथी, भारतीय गौर, सांबर हिरण, बनैला सूअर, भारतीय करेस्टेड साही, मुंजक, पिसूरी, रीछ, जंगली सुअर, भारतीय विशाल गिलहरी, टोड्डी कैट, भारतीय साल और पायथन सामान्य हैं। यहां पिश्चिमी घाटों की कुछ स्थानिक जीव जंतु प्रजातियां लापन टेल्ड मैकक्यू, नीलिगरी लंगुर, नीलिगरी ताहर, नीलिगरी मारेन आदि देखे जाते हैं। बाघ और तेंदुए की उपस्थिति से इस अभयारण्य की जैव विविधता की समृद्धि और अधिक बढ़ जाती है।

और, अभयारण्य में वनस्पित और जीवजंतुओं की विविधता है जिसमें पक्षी, मछली, उभयचर, सरीसृप आदि शामिल है। वनस्पित प्रजातियों के उदाहरण करूवेलाम (अकैशिया निलोटीका), वेल्विगया (अल्बिजिया परोकेरा), वेक्कािल (अनोगेइस्सस लतीफोलिया), कोला नियि और वेल्लाक्कादम्बु (अंथोकेफलुस केदम्बा),मौंगिल (बम्बुसा बम्बुसा) आदि हैं; कुछ जीवजंतु प्रजातियों के उदाहरण एशियाई हाथी (एलिफस मैक्सीमूस), गोल्डल सियार (कैनिस ऑरियस), मुंजक / भारतीय मुंजक (मृनटीक्स मुनतजक), भारतीय तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस फुस्का, सामान्य मुसंग (पराङ्क्क्यूअस हेर्माफरोदीटेस), गौर (बोस गौरस), भारतीय सारस साही (हायस्ट्रीक इंडिका), आदि है; मछिलियों के कुछ उदाहरण कॉमारसन ग्लासी परचलेट (अमबास्सिस कोम्मेर्सोनी), स्पोटेड सनकेहेअड (चान्ना पुंकटउस), विशाल दानिओ (दानिओ आक्यूइपिन्नाटुस), ऑरेंज चरोमिदा (इटरोपलुस मकुलाटास) आदि है; सरीसृपों के उदाहरण सामान्य करैत (बुंगरूस केइरूलेउस), सामान्य ग्रीन वन लिर्जाड (कलोटेस कलोटेस), ओरिएंटल गार्डन लिर्जाड और छांगेअवल लिर्जाड (कलोटेस वेर्सिकोलोर), इंडियन चामेलेओन (चामेइलेओ जेयलानिकुस), भारतीय डे गेक्को (चनेमापिस इंडिका) आदि हैं।

और, अभयारण्य में दुर्लभ, लुप्तप्राय, संकटापन्न और स्थानिक प्रजातियां हैं। अभयारण्य में विद्यमान लुप्तप्राय प्रजातियों में अक्रांतेरा ग्रान्डीफ्लोरा, अक्टिनोदाफाँट लानाटा, एनाकोलोसा देंसिफ्लोरा, केरोपेगिनिया पुसिल्ला, इमपटिइंस नेओ-बारनेसि, इमपटिइंस नीलिगिरीका, हेमित्रागुस हायलोक्रीउस, मकाका सिलेनुस, लोरिस ट्रदीग्रादुस, एलेफस मैकमुस, क्यून अल्पाइस, पैंथेरा टाइगरिस टाइगरिस आदि हैं। अभयारण्य में दुर्लभ प्रजातियां सेव लिव्ड एलैंगियम (अलांगिउम सल्विफोलियम), बेगोनिया (बेगोनिया कोर्दीफोल्लिया), रैट्टलेपोड (क्रोटोरिया स्काबरा), करापु तेकेल (देरिस बेंथिम), मुंराई मारबल ट्री (इलाइओकारपुस मुंरोइ.), हेयदोटिस (हेदयोतीस इयालुअटा),

अशोक (पोल्याल्थिया रूफेंसिस), वान्नीला क्रीपर (वनिल्ला विघअअना) अभिलिखित है। संकटापन्न प्रजातियों के उदाहरण अपोरोसा लिदलेयाना,अरेंगा विघटी, बेन्टिंकिया कोंदापान्ना, इलाइओकारपुस वेनुस्तुस,संतालुम अलबुम आदि हैं।

और, कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में लगभग 60% जनसंख्या किसानों की है। उनमें से अधिकतर सीमांत किसान है। यहां तक कि कुछ लोग कम भूमि स्वामित्व के कारण भी सपोषण के लिए कृषि करते हैं। लोग अपनी आय के लिए छोटी दुकानें और होटल चलाते हैं। इसके अलावा कम से कम 10-15% जनसंख्या (शिक्षित और अशिक्षित दोनों) कुशल या अकुशल मजदूरों के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए विदेश में रहती है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मछली पकड़ने के क्रियाकलाप नहीं है क्योंकि तटीय क्षेत्र प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन हीं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिमलनाडु राज्य में कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 किलोमीटर (अंत:-राज्य सीमा के कारण) से 3.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर शून्य किलोमीटर (अंत:-राज्य सीमा के कारण) से 3.0 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 196.05 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-।** के रूप में संलग्न है।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध ॥ क-ङ** में दिया गया है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमश: **उपाबंध ॥ (क)** और (ख) में है।
- (5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-**IV के रूप में संलग्न है।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।
- (3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--
  - (i) पर्यावरण:
  - (ii) वन और वन्यजीव;
  - (iii) कृषि;
  - (iv) राजस्व;

- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन:
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग:
- (xii) राजमार्ग:
- (xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में वनरिहत और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।
- (8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात:--
- (1) **भू-उपयोग** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस

अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और
- (v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।
- (ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।
- (घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।
- (ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।
- (च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।
- (2) प्राकृतिक जल स्रोत- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/निदयों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सिम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषद्ध और निर्बंधित किया गया हो।
- (3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।
- (घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-
  - (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे

- पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगा।
- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।
- (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (4) प्राकृतिक विरासत पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण** तिमलनाडु राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नाव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपिशष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।
- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.िन 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।
- (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **सड़क-यातायात:** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (15) **वाहन जिंत प्रदूषण:-** वाहन जिंत प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां:** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।
- (ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:
  - (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।
  - (ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

- (18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए. अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
		क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
		किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान
		बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाने हेतु जमीन की
		खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज)
		पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ;
		(ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के
		मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त,
		2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट
		याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम
		न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि)	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान
	उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी।
		जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में
		फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की
		स्थापना अनुज्ञा दी होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को
		प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं	ं लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
٥.	की स्थापना ।	
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	उत्पादन या प्रस्संकरण।	
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्नावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा
0.		मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
_		ब. विनियमित क्रियाकलाप
8.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के
	स्थापना ।	सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या

वाणिज्यिक होटलों परंतु, संरक्षित क्षेत्र संवेदी जोन की ज अनुसार इनमें जो विद्यमान क्रियाकल	दी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए और रिजांटों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। । की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी निमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के
संवेदी जोन की ज अनुसार इनमें जो विद्यमान क्रियाकल	नीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के
्र मंत्रिमीण कियाकलाम् । मंत्रश्रित श्रेव की	मी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या ापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
9.   सानमाणाक्रयाकलापा   सराक्षत क्षत्र का	नीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी
जोन की सीमा तब	ह, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये
वाणिज्यिक संनिम	ण की अनुज्ञा नहीं होगी;
(क) परंतु स्था	नीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित
आवश्यकताओं को	पूरा करने के लिए, पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध
क्रियाकलापों सहिः	। अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के
	करने की अनुज्ञा होगी :-
	ड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का
	ः, चों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण      और नवीकरण
करना:	
	16 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण
	गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ;
	गरे- प्रकृतपात राजु उद्यागा चारपात, गों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास
	रेस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की
	ना में सुचीबद्ध बढ़ावा दिए गए   क्रियाकलाप ।
	्र प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप
	्र विनियमों, यदि कोई हों,  के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की
	नेयमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम  होंगे ।
	मीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार
वर्गीकरण के अनुर सेवा उद्योग, कृष्	ों केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के गर गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और ा, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो दी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम नुज्ञात होंगे।
	के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन भूमि या ाजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा
	ई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
12. वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों लागू विधियों के अ (एनटीएफपी) का संग्रह।	धीन विनियमित होगा ।
13. फर्मों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक लागू विधियों के अ पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	धीन विनियमित होंगे ।

14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा
14.	विद्युत आर संचार टावर लगान, तार-	दिया जाएगा।
	व्यवस्था।	,
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौंजूदा दिशानिर्देशों के
	ढांचे की व्यवस्था।	अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार
	सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण	उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
	करना।	
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के	
	ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर,	
	ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	
18.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	संरक्षण।	
19.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागु विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
		स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागु विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही	स्थानाय जनता के प्रयोग के लिए लागू विद्याय के अधान अनुज्ञात होगी 
	वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि	
	साय डयारया, दुग्व उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्नाव के निस्सारण से बचा
	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का	जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए
	निस्सारण ।	जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्नाव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की
	बोर कुएं आदि का निर्माण । ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	सख्त निगरानी की जाएगी। लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.		
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
		ग. संवर्धित क्रियाकलाप
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
	प्रयोग ।	

36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
	बहाली ।	
38.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

1.	जिला कलेक्टर, कन्याकुमारी जिला, नागेरकोइल	-अध्यक्ष;
2.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
3.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता का विशेषज्ञ	–सदस्य;
4.	राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण नामित विशेषज्ञ	–सदस्य;
5.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
7.	जिला वन अधिकारी, कन्याकुमारी प्रभाग, नागेरकोइल।	–सदस्य;

### 6.विचारार्थ विषय:-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/15/2018-ईएसजेड] ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

### उपाबंध I

### संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम पर केरल राज्य के नेय्यार वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर पर कलाकड़
	मुदुनथुराई बाघ रिजर्व के द्वारा आच्छादित है। अभयारण्य के पूर्वी दिश का भाग पुन: कलाकड़ मूंदनथुराई बाघ
	रिज़र्व के साथ सीमा से जुड़ता है। उत्तर और पश्चिम के अधिसूचित वन क्षेत्र के आसपास है, पारिस्थितिकी संवेदी
	जोन अभयारण्य के उत्तर और पश्चिम पर प्रस्तावित नहीं है।
पूर्व	कलाकड़ मुदुनथुराई बाघ रिज़र्व के दक्षिण पश्चिमी कोण से सीमा नगेरकोईल- तिरूनेवेली राष्ट्रीय राजमार्ग
	सड़क की पश्चिमी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है और इसके बाद तिरूनेवेली जिला में पाजहावूर,
	करूणकलम और लेविनचीपुरम ग्राम में निजी भूमियों से दक्षिण की ओर जाती है।
दक्षिण	सीमा इसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर और अगस्तीस्वराम, तालुक के कूलासेकारापुरम, मरूनगूर, नल्लूर और
	रामापुरम ग्रामों में निजी भूमियों से होते हुए जाती है और इसके बाद थोवालाई तालुक में अराल्वोइमोजही,
	सेंबगराम्पुथुर, थजहाकुदी, देरिसनाम्कोप, कत्तुपुदुर, अजहागिपुदीयपुरम और थादीक्कराकोनाम ग्रामों में भूमियों
	से होते हुए पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद सीमा विलावनकोड ग्राम में कदयल और कलीयल ग्रामों और
	कलकुलम तालुक में चुरूल्कोदे, पेरूंचिन, थुम्बकोदे ए, थुम्बकोदे बी, पेचिपराई ग्रामों में निजी भूमियों से होते हुए
	पश्चिम  की ओर जाती है और केरले राज्य की पूर्वी सीमा पहुंचती है।
पश्चिम	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा केरल राज्य के साथ अंत:राज्य सीमा से होते हुए जाती है।
उत्तर पश्चिम	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा केरल राज्य के नेय्यार वन्यजीव अभयारण्य और कलाक्कड़ मूंदनथूराई वन्यजीव
	अभयारण्य से होते हुए जाती है।
उत्तर पूर्व	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा कलाक्कड़ मूंदनथूराई वन्यजीव अभयारण्य से होते हुए जाती है
दक्षिण पूर्व	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा टी करूणगूलन और लेविनजीपुरम के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए जाती
	है।
दक्षिण पश्चिम	पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा ममबालाथूरयर जलाशय चैनल से होते हुए लासो और रिज की रिज़र्व भूमि से
	होते हुए जाती है।


### <u>उपाबंध - IIक</u>

# कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




## <u>उपाबंध - IIख</u>

# कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानिचत्र




### <u> उपाबंध – IIग</u>

### भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र




### <u>उपाबंध – IIघ</u>

### 10 किलोमीटर बफर के साथ कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र



# <u>उपाबंध- IIङ</u>

# मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



### उपाबंध-III

## सारणी क : कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य, तमिलनाडु के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/दिशा	अक्षांश	देशांतर
1.	एस1	केरल के साथ राज्य सीमा	ਤ.8°30'10.16"	पू77°12'14.45"
2.		उ	8°29'33.91"	77°12'41.85"
3.	एस 2	अरूकनी चैनल	ਤ.8°29'09.87"	पू77°13'03.95''
4.		उ प	8°28'51.29"	77°13'31.85"
5.		उ प	8°28'44.38"	77°13'47.65"
6.		उ प	8°28'30.13"	77°14'24.58"
7.		उ प	8°28'22.62"	77°14'43.81"
8.	एस 3	कट्टुवा कानी कुडियारूपू	उ.8°28'37.0"	पू77°14'04.3"

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/दिशा	अक्षांश	देशांतर
9.		उ प	8°28'6.05"	77°14'58.35"
10.	एस4	गोड शेफर्ड कॉलेज	ਤ08°27' 49.9"	पू77°15'04.3''
11.		उ प	8°27'31.24"	77°15'13.60"
12.		उ प	8°27'33.81"	77°15'33.85"
13.	एस 5	मारुथाम्पाराई वन गार्ड क्वार्टर	उ08°27' 25.5''	पू77°15'48.4"
14.		उ	8°27'19.24"	77°16'3.28"
15.		उ	8°27'13.13"	77°16'21.92"
16.	एस 6	चित्तर बांध	ਤ08°27'06.47''	पू77°16'38.01"
17.		उ	8°26'45.01"	77°16'48.26"
18.		उ	8°26'31.67"	77°16'50.23"
19.	एस 7	थोडालिकडु बांध प्रविष्ठ	ਤ08°26'24.0"	पू77°17'21.3"
20.		उ	8°26'23.86"	77°17'3.60"
21.		उ	8°26'30.83"	77°17'40.67"
22.		उ	8°26'49.08"	77°17'47.16"
23.		उ	8°27'6.34"	77°17'47.03"
24.		उ	8°27'17.83"	77°18'1.86"
25.	एस 8	शून्य बिंदु –कोदयार मैन रोड़	ਤ08°27'15.9"	पू77°18'15.2''
26.		उ	8°26'57.24"	77°18'29.72"
27.		उ	8°26'42.78"	77°18'47.91"
28.		उ	8°26'18.00"	77°18'41.95"
29.		उ	8°25'47.85"	77°18'46.26"
30.		उ	8°25'26.66"	77°19'9.03"
31.		उ	8°24'46.50"	77°19'26.40"
32.		उ	8°25'0.35"	77°19'5.90"
33.		उ	8°24'56.29"	77°18'37.67"
34.		उ प	8°24'44.15"	77°18'15.28"
35.	एस 9		ਤ08°24'34.04"	पू77°18'07.13"
36.		उप	8°24'13.06"	77°18'12.91"
37.		उप	8°24'5.88"	77°18'33.63"
38.		उप	8°24'22.26"	77°18'43.54"
39.		उप	8°24'6.24"	77°19'4.09"
40.		उ प	8°23'48.99"	77°19'16.20"
41.		उप	8°23'34.18"	77°18'54.62"
42.		उप	8°23'18.69"	77°18'52.83"
43.		उप	8°23'17.37"	77°18'32.83"
44.		उ प	8°23'33.39"	77°18'20.81"
45.		उ प	8°23'12.31"	77°18'23.13"
46.		उ प	8°22'54.46"	77°18'36.17"

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/दिशा	अक्षांश	देशांतर
47.		उ प	8°22'35.79"	77°18'58.41"
48.		उ प	8°22'24.34"	77°19'19.11"
49.		उ प	8°22'18.95"	77°19'47.98"
50.		उ प	8°22'18.56"	77°20'8.68"
51.		उ प	8°21'56.82"	77°20'20.37"
52.		उ प	8°21'42.28"	77°20'35.51"
53.	एस 10	पेरूंचानि पोंमानि चैनल प्रवेश	ਤ08°21'30.19"	पू77°20'57.50''
54.		उ प	8°21'8.39"	77°20'57.01"
55.		द प	8°20'52.86"	77°21'26.35"
56.		द प	8°20'50.83"	77°21'53.31"
57.		द प	8°20'41.62"	77°22'22.28"
58.		द	8°20'39.49"	77°22'49.34"
59.		द पू	8°20'40.78"	77°23'20.91"
60.		द पू	8°20'21.98"	77°23'38.12"
61.		द पू	8°20'19.50"	77°24'1.80"
62.		द पू	8°20'0.56"	77°24'23.90"
63.		द पू	8°20'3.59"	77°24'36.15"
64.		द पू	8°20'6.22"	77°25'2.93"
65.	एस 11	थदीक्कारंकोनाम चैक पोस्ट सड़क	ਤ08°20'06.27''	पू77°25'02.95''
66.		द पू	8°21'4.01"	77°24'48.80"
67.		द पू	8°20'25.61"	77°25'2.03"
68.		द पू	8°20'43.79"	77°24'56.07"
69.		उ पू	8°21'38.42"	77°24'33.52"
70.		उ पू	8°21'39.70"	77°23'57.73"
71.		उ	8°21'51.89"	77°23'24.73"
72.		उ	8°22'12.93"	77°23'34.12"
73.		उ	8°22'18.77"	77°23'50.84"
74.		उ	8°22'34.25"	77°23'46.74"
75.		उ	8°22'35.11"	77°24'11.39"
76.		उ पू	8°22'6.96"	77°24'27.97"
77.		उ पू	8°22'16.14"	77°25'1.66"
78.		उ पू	8°22'20.56"	77°25'41.66"
79.		उ पू	8°22'8.40"	77°26'9.74"
80.		उ पू	8°22'33.15"	77°26'24.64"
81.		उ पू	8°22'32.14"	77°26'58.56"
82.		उ पू	8°21'48.54"	77°27'16.62"
83.		उ पू	8°22'10.99"	77°27'22.57"
84.		उ पू	8°21'10.89"	77°27'21.86"

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/दिशा	अक्षांश	देशांतर
85.		उ पू	8°21'3.66"	77°27'34.54"
86.	एस 12	थौवाची पुल	ਤ08°19'41.1"	पू77°27'07.8''
87.		उ पू	8°20'50.21"	77°26'56.09"
88.		उ पू	8°21'7.61"	77°26'42.20"
89.		उ पू	8°21'8.61"	77°26'13.89"
90.		उ पू	8°20'53.74"	77°25'32.82"
91.		द पू	8°20'22.91"	77°25'59.35"
92.		द पू	8°20'7.11"	77°26'3.13"
93.		द पू	8°20'5.98"	77°25'40.81"
94.		द पू	8°20'21.63"	77°25'19.37"
95.		द पू	8°19'51.49"	77°25'14.16"
96.		द पू	8°19'21.37"	77°25'16.61"
97.		द पू	8°19'13.82"	77°25'36.98"
98.		द पू	8°19'19.22"	77°25'58.32"
99.		द पू	8°19'40.82"	77°26'20.54"
100.		द पू	8°19'52.99"	77°26'46.89"
101.		द पू	8°19'40.68"	77°27'28.57"
102.		द पू	8°19'24.19"	77°27'44.90"
103.		द पू	8°19'23.88"	77°28'1.75"
104.		द पू	8°18'55.02"	77°28'8.31"
105.		द पू	8°18'48.68"	77°28'33.83"
106.		द पू	8°18'43.09"	77°28'56.13"
107.		द पू	8°18'31.23"	77°29'33.38"
108.		द पू	8°18'4.31"	77°29'32.08"
109.		द पू	8°17'52.85"	77°29'13.36"
110.		द पू	8°17'50.22"	77°28'35.81"
111.		द पू	8°17'17.56"	77°28'20.79"
112.		द पू	8°17'23.66"	77°27'43.42"
113.	एस 13	थेल्लांथी झील	ਤ08°16'49.5''	पू77°27'29.5"
114.		द पू	8°17'1.10"	77°27'58.26"
115.		द पू	8°16'32.66"	77°28'27.06"
116.		द पू	8°16'19.28"	77°28'48.68"
117.		द पू	8°16'35.91"	77°29'16.04"
118.		द पू	8°16'43.09"	77°29'49.378"
119.		द पू	8°16'55.62"	77°30'6.77"
120.		द पू	8°17'18.92"	77°30'24.37"
121.		द पू	8°16'45.56"	77°30'31.10"
122.		द पू	8°16'15.79"	77°30'46.91"

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/दिशा	अक्षांश	देशांतर
123.		द पू	8°16'34.48"	77°31'14.62"
124.		द पू	8°16'1.13"	77°31'11.48"
125.		द पू	8°16'7.02"	77°31'46.34"
126.		द पू	8°15'53.04"	77°32'7.81"
127.		द पू	8°16'9.37"	77°32'20.53"
128.		द पू	8°15'58.18"	77°32'44.00"
129.	एस 14	आईएसआरओ यौगिक	ਤ08°16'09.4"	पू77°33'02.5''
130.		द पू	8°16'32.91"	77°33'9.20"
131.		द पू	8°17'0.94"	77°32'49.90"
132.		द पू	8°17'22.85"	77°32'36.96"
133.		द पू	8°17'54.03"	77°32'19.96"
134.		द पू	8°18'19.87"	77°32'39.89"
135.		द पू	8°18'44.35"	77°32'26.33"
136.		द पू	8°18'58.85"	77°32'6.24"
137.		द पू	8°19'13.67"	77°31'54.14"
138.		द पू	8°19'29.24"	77°32'4.91"
139.		द पू	8°19'51.35"	77°32'4.18"
140.		द पू	8°20'6.22"	77°32'29.11"
141.		द पू	8°20'42.20"	77°32'22.96"
142.	एस 15	कन्निमार ओदाई	ਤ08°21'12.1"	पू77°32'11.3''
143.		द पू	8°13'43.64"	77°32'43.05"
144.		द पू	8°13'16.72"	77°32'57.48"
145.		द पू	8°12'46.30"	77°32'44.55"
146.		द पू	8°12'19.94"	77°33'2.76"
147.		द पू	8°11'48.83"	77°32'43.06"
148.		द पू	8°11'28.39"	77°33'11.77"
149.		द	8°11'4.12"	77°32'41.23"
150.		द	8°10'40.71"	77°32'56.79"
151.		द	8°10'30.35"	77°32'32.84"
152.		द	8°10'0.51"	77°32'12.91"
153.		द	8°9'54.25"	77°31'47.13"
154.		द	8°9'46.27"	77°31'33.35"
155.	एस 20	मरूथुवाल्मालाई चैनल प्रवेश द्वार	ਤ08°09'31.77"	पू77°31'24.13''
156.		द	8°9'44.62"	77°31'2.74"
157.		द	8°10'5.92"	77°31'33.29"
158.		द	8°10'28.92"	77°31'34.19"
159.		द	8°10'38.98"	77°31'53.58"
160.		द	8°11'7.32"	77°32'7.45"

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/दिशा	अक्षांश	देशांतर
161.		द	8°11'37.63"	77°31'52.04"
162.		द	8°11'57.04"	77°31'22.75"
163.		द	8°12'7.95"	77°31'5.22"
164.		द	8°12'20.13"	77°30'40.81"
165.		द	8°12'31.96"	77°30'8.22"
166.	एस 21	थोवालाई चैनल क्षेत्र	ਤ08°12'39.68''	पू77°29'31.79''
167.		द	8°12'54.16"	77°29'44.94"
168.		द	8°13'29.46"	77°30'17.93"
169.		द	8°13'30.10"	77°30'47.92"
170.		द पू	8°13'27.58"	77°31'18.47"
171.		द पू	8°14'0.44"	77°31'38.43"
172.	एस 22	एसटी देवसाहयम माउंट	08° 14'19.87"	पू77° 31'29.86''
173.		द पू	8°14'26.38"	77°31'51.39"
174.	एस 23	कोट्टाकराई	ਤ08°14'04.30''	पू77° 32'03.99''
175.		द	8°16'36.35"	77°24'4.23"
176.	एस 17	वेलिमलाई चोटी	ਤ08°19'16.65"	पू77°23'42.05''
177.		द पू	8°16'28.10"	77°24'30.91"
178.		द पू	8°16'54.88"	77°24'30.85"
179.	एस 18	चिरामदम बांध प्रवेश	उ08°16'57.77''	पू77°24'47.98''
180.		द पू	8°17'16.34"	77°24'4.71"
181.		द पू	8°17'15.67"	77°25'4.54"
182.	एस 19	अतिरपुरम ग्राम	ਤ08°17'51.53''	पू77°25'05.93''
183.		द पू	8°18'9.19"	77°24'45.60"
184.		द पू	8°18'34.78"	77°24'18.60"
185.		द पू	8°19'0.91"	77°23'55.11"
186.		द पू	8°19'20.84"	77°23'21.81"
187.		द पू	8°19'30.50"	77°22'58.59"
188.		द पू	8°19'12.88"	77°22'49.00"
189.	एस 16	सुरूलाकोदे प्रवेश	ਤ08°19'24.47''	पू <b>77</b> °22'50.48''
190.		द	8°18'46.69"	77°22'42.02"
191.		द	8°18'15.28"	77°22'41.80"
192.		द	8°18'3.86"	77°23'11.90"
193.		द	8°17'27.78"	77°23'22.14"
194.		द	8°16'45.67"	77°23'30.38"
195.	एस 24	वराईयादु मुदी	8°32'41.64"	77°17'6.33"
196.		उ प	8°32'9.61"	77°17'44.48"
197.	एस 25	कोदाइयर पावर हाउस	8°31'26.67"	77°18'44.45"
198.		उ प	8°31'1.12"	77°19'43.18"

क्र.सं	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/दिशा	अक्षांश	देशांतर
199.		उ प	8°30'37.88"	77°20'37.47"
200.	एस 26	कंचापोंमलाइर	8°30'15.96"	77°21'7.02"
201.	एस 27	मुथुकुलिवायाइ मोट्टाइ	8°29'13.51"	77°22'46.74"
202.		उ प	8°28'47.69"	77°23'12.02"
203.	एस28	वनामुट्टी मलाइ	8°28'48.05"	77°24'32.84"
204.	एस29	तुरूट्टावलुअदं मलाई	8°27'50.56"	77°25'45.32"
205.		उ प	8°27'47.90"	77°26'19.39"
206.		उ प	8°27'26.60"	77°27'41.19"
207.	एस 30	कनियिनि मोट्टाई	8°27'15.87"	77°28'21.46"
208.	एस 31	नलिक्काई मोट्टाई	8°26'24.68"	77°27'54.32"
209.		उ	8°25'50.83"	77°27'42.75"
210.	एस 32	समिकुचि मलाई	8°24'45.94"	77°27'54.32"
211.		उ	8°24'49.93"	77°28'25.01"
212.		उ	8°22'58.23"	77°29'22.50"
213.	एस 33	मेहेंद्रागिरि	8°23'48.00"	77°28'30.69"
214.		उ पू	8°22'55.84"	77°31'22.18"
215.	एस 34	तिरूवान्नमलाई	8°23'6.31"	77°30'31.35"
216.		उ पू	8°21'23.66"	77°32'11.06"
217.		उ पू	8°23'24.08"	77°31'50.24"
218.		उ पू	8°22'1.37"	77°32'7.34"

# सारणी खः पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान दिशा	डी.एम.एस	डी.एम.एस
1.	ए	केरल के साथ राज्य सीमा	8°30'6"	77°12'12"
2.		उ प	8°30'6.39"	77°12'12.56"
3.		उ प	8°29'16.08"	77°12'50.31"
4.		उ प	8°28'53.17"	77°13'15.21"
5.	बी	पथुकनी निपटान क्षेत्र	8°28'35"	77°13'45"
6.		उ प	8°28'13.31"	77°14'24.84"
7.		उ प	8°27'41.92"	77°14'58.43"
8.	सी	चित्तार चैनल	8°27'27"	77°15'14"
9.		उ प	8°26'38.77"	77°16'9.50"
10.		उ प	8°26'3.04"	77°17'6.34"
11.		उ	8°26'42.86"	77°18'0.34"
12.		उ	8°27'7.84"	77°18'17.73"

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान दिशा	डी.एम.एस	डी.एम.एस
13.		उ	8°26'1.87"	77°18'25.28"
14.		उ प	8°25'3.23"	77°18'9.53"
15.		उ प	8°23'32.60"	77°17'54.19"
16.		उ प	8°22'33.08"	77°17'54.42"
17.		उ प	8°21'49.06"	77°18'31.00"
18.		Ч	8°20'55.37"	77°20'48.40"
19.		द	8°20'25.27"	77°23'11.97"
20.	डी	थदीक्क्रानांकोनाम चेक पोस्ट	8°19'42"	77°24'56"
21.		द पू	8°19'32.48"	77°25'5.69"
22.		द पू	8°19'30.52"	77°26'24.56"
23.		द पू	8°19'15.58"	77°27'34.48"
24.		द पू	8°18'42.53"	77°28'20.44"
25.		द पू	8°18'30.59"	77°29'15.60"
26.		द पू	8°17'40.76"	77°28'23.36"
27.		द पू	8°17'33.79"	77°27'49.09"
28.		द पू	8°17'12.49"	77°27'9.30"
29.		द पू	8°17'34.86"	77°27'0.32"
30.		द	8°15'21.32"	77°27'11.90"
31.		द	8°14'52.15"	77°27'39.06"
32.		द	8°14'49.88"	77°28'16.62"
33.		द	8°15'8.79"	77°28'48.10"
34.		द पू	8°15'4.03"	77°31'15.51"
35.	र्इ	आईएसआरओ	8°16'58"	77°33'53"
36.		द पू	8°17'40.71"	77°33'9.51"
37.		द पू	8°18'48.29"	77°32'35.58"
38.		द पू	8°19'37.58"	77°32'2.29"
39.		द पू	8°19'55.76"	77°32'43.48"
40.		पू	8°20'52.09"	77°32'26.32"
41.	एफ	रोशमीआपुरम	8°21'30"	77°32'23"
42.		द	8°12'12.62"	77°30'7.59"
43.	जी	कुमारपुरम के पास एनएच	8°14'46"	77°34'8"
44.		द	8°9'33.96"	77°31'41.06"
45.		द	8°14'46.64"	77°34'8.41"
46.		द	8°14'50.57"	77°32'4.12"
47.		द	8°14'4.59"	77°31'1.15"
48.		द	8°16'5.95"	77°25'19.40"
49.	एच	गनालाम सड़क	8°18'17"	77°25'7"
50.		द	8°15'35.81"	77°24'23.06"

क्र.सं	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान दिशा	डी.एम.एस	डी.एम.एस
51.		द	8°14'55.37"	77°23'30.51"
52.		द	8°18'5.12"	77°22'25.67"
53.		द	8°15'52.45"	77°22'39.56"
54.	आई	इराचाकुलम अम्मां कोइल सड़क	8°14'11"	77°25'2"
55.		द	8°20'4.62"	77°22'53.43"
56.	जे	माम्बलाथुरिया जलाशय	8°14'6"	77°22'45"
57.		द	8°18'53.97"	77°24'5.68"
58.		द	8°16'29.97"	77°26'5.36"

उपाबंध-IV भू-निर्देशांकों के साथ कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं	जिला का नाम		राजस्व ग्राम के नाम	जीपीएस रिडिंग
		1		उ08 24 26.28 पू77 15
	कदर	कदयाल	59.08	
		2	त्रिपराप्पु	ਤ08 23 29.28
			।त्रपराप्पु	पू77 15 33.94
		3	थुम्बाकोदे	ਤ0 8.524212
			्यु+बाकाद 	पू77.005887
		4	पोन्मानयी	उ08 21 15.10 पू77 19
			पान्मानया	42.08
		5		उ08 20 25.12 पू77 22
			सुरूलाकोदे	29.26
	<ul><li>कन्याकुमारी</li><li>क देरीसानाम्कोपे</li></ul>		ਚ08 25 37.30	
		अरूमानाल्लार	पू77 40 05.90	
1		7	देरीसानाम्कोपे	ਤ08 17 12.59
				पू77 20 34.75
		8	चीरामादाम	उ08 16 29.30 पू77 24
			पारामायाम	14.74
		9	वेलीमालाई	ਤ08 14 36.80
			वलामालाइ	पू77 20 59.46
	10	27-110111-11	ਤ08 18 11.17	
			अनाथपुरम	पू77 28 29.80
	11	अजागिपंदीपुरम	उ08 18 28.81 पू77 26	
			जजाागपदापुरम	21.78
		12	सेंबगरामंपुथोर	उ08 14 43.19 पू77 29
			त्रवगरामपुथार	25.15
		13	थोवालाई	ਤ08 13 51.84

क्र.सं	जिला का नाम		राजस्व ग्राम के नाम	जीपीएस रिडिंग
				पू77 30 21.45
		14		ਤ08 15 06.94 ਧ੍ਰ77 31
			अराल्वाइमोजय	49.59
		15	2.4	ਤ08 10 58.86
			थेरौर 	पू77 27 52.46
		16		उ08 10 17.50 पू77 30
			मरूंगौर	14.21
		17		ਤ08 08 36.94
			कुलासेकारापुरम	पू77 29 44.02
		18		ਤ08 12 16.50 ਧ੍ਰ77 34
			पलावौर	31.94
		19		उ08 34 24.61 पू77
0	टी.करूंगुलाम	टा.करूगुलाम 	51 08.79	
2	तिरूनल्वेली	20	70: 0	उ08 25 42.45 पू77
			लेविंचीपुरम	33 39.24
		21		उ08 18 53.84 पू77
			पनागुदी	34 03.60

### उपाबंध-V

### पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
- 3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
- 4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
- 5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
- 6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2018

**S.O.** 3545(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: -esz-mef@nic.in

#### **Draft Notification**

WHEREAS, the Kanniyakumari Wildlife Sanctuary is spread over an area of 402.395 **Sq km** and situated in Agastheeswaram, Thovalai, Kalkulam and Vilavancode Taluks of Kanniyakumari District in the State of Tamil Nadu. In due recognition of the tremendous biological potential, major chunk of Kanniyakumari forest division was declared as Kanniyakumari Wildlife Sanctuary comprising an area of 40239.55 Ha or 402.395 Sq km vide G.O. (Ms) No.128 (E&F) dated 20.11.2007. Kanniyakumari Division is situated at the South West coast of India approximately between 77° 10' to 77° 35' East longitude and 8°5' to 8°35' North latitude.

AND WHEREAS, floristically the Western Ghats is one of the richest areas in our country harboring not less than 3500 species of flowering plants. (27% of the flowering plants in India). There are 58 endemic genera of which 47 are monotypic. The Agasthiyamalai hills (Ariyankavu pass to Aralvaimozhi pass) have approximately 189 endemic species according to Nayar (1996). The genetic resources of endemics like *Piper sp, Garcinia, Eugenia, Ixora, Hiptage, Calamus, Amorphophallus and Dioscorea* are recorded here. Many endemic medicinal and endangered plants are also some of the natural wealth of this place.

AND WHEREAS, the Kanniyakumari Wildlife Sanctuary being a part of Western Ghats is rich in wildlife with at least 40 types of mammals, about 120 species of birds including 14 species of migratory birds and rich diversity of fishes, reptiles and amphibians. Asian Elephant, Indian Gaur, Sambar Deer, Wildboar, Indian Crested Porcupine, Barking deer, Mouse deer, Sloth bear, Wild dog, Indian Giant Squirrel, Toddy cat, Indian Pangolin and Python are common. Lion Tailed Macaque, Nilgiri Langur, Nilgiri Tahr, Nilgiri Marten etc., are some of the endemic faunal species of the Western Ghats seen here. The presence of Tiger and Leopard lends credence to the richness of biodiversity of this tract.

AND WHEREAS, the sanctuary has diversity of flora and fauna including birds, fishes, amphibians, reptiles etc. The examples of floral species are Karuvelam (Acacia nilotica), Velvagai (Albizia procera), Vekkali (Anogeissus latifolia), Kola niyila or Vellakkadambu (Anthocephalus cadamba), Moongil (Bambusa bambos) etc; examples of some faunal species are Asian Elephant (Elephas maximus), Golden Jackal (Canis aureus), Barking Deer / Indian Muntjak (Muntiacus muntjak), Indian Leopard (Panthera pardus fusca), Common Palm Civet (Paradoxurus hermaphrodites), Gaur (Bos gaurus), Indian Crested Porcupine (Hystrix indica), etc; Some example of fishes are Commerson's Glassy Perchlet (Ambassis commersonii), Spotted snakehead (Channa punctaus), Giant danio (Danio aequipinnatus), Orange Chromide (Etroplus maculates) etc; example of reptiles are Common krait (Bungarus caeruleus), Common green forest lizard (Calotes calotes), Oriental garden lizard or Changeable lizard (Calotes versicolor), Indian chameleon (Chamaeleo zeylanicus), Indian day gecko (Cnemaspis indica) etc.

AND WHEREAS, the sanctuary has rare, endangered, threatened and endemic species. The endangered species present in the sanctuary include Acranthera grandiflora, Actinodaphne lanata, Anacolosa densiflora, Ceropegia pusilla, Impatiens neo-barnesii, Impatiens nilagirica, Hemitragus hylocrius, Macaca silenus, Loris tardigradus, Elephas maximus, Cuon alpines, Panthera tigris tigris etc. The rare species recorded in the sanctuary are Sage-leaved alangium (Alangium salvifolium), Begonia (Begonia cordifolia), Rattlepod(Crotalaria scabra), Karapu Tekel (Derris benthamii), Munroe's Marble Tree (Elaeocarpus munroii), Heydotis (Hedyotis eualuate), Ashok (Polyalthia rufensis), Vannila Creeper (Vanilla wightiana). Examples of threatened species are Aporosa lindleyana, Arenga wightii, Bentinckia condapanna, Elaeocarpus venustus, Santalum album etc.

**AND WHEREAS,** almost 60% of the populations in the eco-sensitive zone of Kanniyakumari WLS are agriculturalists. Most of them are marginal farmers. Some people even perform sustenance farming due to small land

holdings. People run petty shops and hotels for their income. Also at least 10-15% of the population (both literate and illiterate) stays abroad for working in various sectors as skilled or unskilled labourers. There is no fishing activity in the proposed ESZ as coastal area does not fall in the proposed ESZ.

**NOW THEREFORE**, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from zero kilometre (due to Inter-state boundary) to 3.0 kilometres around the boundary of Kanniyakumari Wildlife Sanctuary in the State of Tamil Nadu as the Kanniyakumari Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- **1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. -** (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from zero kilometer (due to Inter-state boundary) to 3.0 kilometers around the Kanniyakumari Wildlife Sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is 196.05 square kilometers.
- (2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at Annexure I.
- (3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at Annexure IIA-E.
- (4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III(A)** and **(B)** respectively.
- (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone alongwith their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.** (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan.
  - (i) Environment;
  - (ii) Forest and Wildlife;
  - (iii) Agriculture;
  - (iv) Revenue;
  - (v) Urban Development;
  - (vi) Tourism;
  - (vii)Rural Development;
  - (viii) Irrigation and Flood Control;
  - (ix) Municipal;
  - (x) Panchayat Raj;
  - (xi) Public Works Department;
  - (xii) Highways;
  - (xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, wetland management needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3. Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

#### (1) Land use. -

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
  - (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
  - (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
  - (iii) Small scale industries not causing pollution;
  - (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting ecotourism including home stay; and
  - (v) Promoted activities and given in paragraph 4;
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies. The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

#### (3)Tourism/ Eco-tourism

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
  - (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the protected area or up to the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

- (ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
- (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- (4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** The Environment Department of the State Government or Tamil Nadu State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.
- (8) **Discharge of effluents.** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes. Disposal and Management of solid wastes shall be as under:
- (a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone:
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste. -** Bio-medical waste management shall be as under:
- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016 as amended from time to time.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic Waste Management.** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and Demolition Waste Management**. The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste**. The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

- (14) **Vehicular traffic.** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.
- (15) **Vehicular Pollution.** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.
- (16) **Industrial Units.** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:
- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.
- (18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

### 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone:

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

#### **TABLE**

S. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	a) All new and existing (minor and major, minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated: 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad vs. UOI in W.P (C) No.202 of 1995 and dated: 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P (C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone is permitted.  Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries are promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills are permitted with the eco
7.	Setting up of brick kilns.	sensitive zone Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Setting up of offer kinds.	B. Regulated Activities
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts are permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structure for Eco-tourism activities.  Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities are in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer  (a) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:  (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;  (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016.  (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this notification  (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.  c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries .	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro based industry producing products form indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	<ul> <li>a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</li> <li>b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</li> </ul>
12.	Collection of 'Forest produce or Non-Timber Forest Produce(NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms.	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules

	amenities.	and regulation and available guidelines
	amemues.	and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules
	existing roads and construction	and regulation and available guidelines.
17	of new roads.	
17.	Under taking other activities related to tourism like over	Regulated under applicable laws.
	flying the ESZ area by hot air	
	balloon, helicopter, drones,	
	Microlites, etc.	
18.	Protection of Hill Slopes and	Regulated under applicable laws.
	river banks.	
19.	Movement of vehicular traffic	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
	at night.	
20.	Ongoing agriculture and	Permitted under applicable laws for use of locals.
	horticulture practices by local communities along with dairies,	
	dairy farming, aquaculture and	
	fisheries.	
21.	Discharge of treated waste	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to
	water/effluents in natural water	enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of
	bodies of land area.	treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste
		water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of	Regulated under applicable law.
23.	surface and ground water.  Open well, Bore well etc., for	Regulated and the activity should bane strictly monitored by the
23.	agriculture or other usage.	appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable law.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable law.
26.	Eco-Tourism.	Regulated under applicable law.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable law.
28.	Commercial Sign boards and	Regulated under applicable laws.
	hoardings.	
20	In.	C. Promoted Activities
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
	Cottage industries including	
32.	village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
22	Use of renewable energy and	Die nee selen lieht ete te he estively manusted
33.	fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitat.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee**.-The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), comprising of the following members namely:-

	1.	The District Collector, Kanniyakumari District, Nagercoil.	Chairman;
ĺ	2.	A representative of Non-government Organisation working in the field of	Member;
		wildlife conservation to be nominated by State Government.	

3.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government.	Member;
4.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State	Member;
	Government.	
5.	A representative from State Public Works Department.	Member;
6.	A representative from State Pollution Control Board.	Member;
7.	District Forest Officer, Kanniyakumari Division, Nagercoil.	Member Secretary.

### 6. Terms of Reference. –

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8.** The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/15/2018-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'


### ANNEXURE- I

### BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

Vildlife Sanctuary of the State of	
41 NT 41 A 41 C 41	
on the North. A portion of the	
kad Mundanthurai Tiger Reserve.	
West, Eco Sensitive zone is not	
iger Reserve the boundary runs	
lveli National Highways road and	
lam and Levinchipuram village in	
ivate lands in Kulasekarapuram,	
m Taluk and then towards west	
hur, Thazhakudi, Derisanamcope,	
ges in Thovalai Taluk. Then the	
ode, Perunchani, Thumbacode A,	
Kadayal and Kaliyal villages in	
State.	
te	
lakkad Mundanthurai WLS	
ast ESZ boundary runs through Kalakkad Mundanthurai WLS	
ESZ boundary runs through national highways near T.Karungulan and Levinjipuram	
so through the Mambalathurayar	
•	


### **ANNEXURE-IIA**

# GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KANNIYAKUMARI WILDLIFE SANCTUARY




### **ANNEXURE-IIB**

# GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KANNIYAKUMARI WILDLIFE SANCTUARY




# ANNEXURE- IIC MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KANNIYAKUMARI WILDLIFE SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET




### **ANNEXURE-IID**

# LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KANNIYAKUMARI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH 10 KM BUFFER



# ANNEXURE- IIE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KANNIYAKUMARI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



### ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Kanniyakumari Wildlife Sanctuary, Tamil Nadu

S. No.	Identification of Prominent points	Location/Direction of prominent points	Latitude	Longitude
1.	S1	State boundary with Kerala	N08°30'10.16"	E77°12'14.45"
2.		N	8°29'33.91" 77°12'41.85"	
3.	S2	Aarukani Channel	N08°29'09.87"	E77°13'03.95"
4.	~ <u>~</u>	NW	8°28'51.29"	77°13'31.85"
5.		NW	8°28'44.38"	77°13'47.65"
6.		NW	8°28'30.13"	77°14'24.58"
7.		NW	8°28'22.62"	77°14'43.81"
8.	S3	Kattuva Kani Kudiyiruppu	N08°28'37.0"	E77°14'04.3"
9.		NW	8°28'6.05"	77°14'58.35"
10.	S4	Good Shepherd college	N08°27' 49.9"	E77°15'04.3"
11.		NW	8°27'31.24"	77°15'13.60"
12.		NW	8°27'33.81"	77°15'33.85"
13.	S5	Maruthamparai Forest Guard quarters	N08°27' 25.5"	E77°15'48.4"
14.		N	8°27'19.24"	77°16'3.28"
15.		N	8°27'13.13"	77°16'21.92"
16.	S6	Chittar dam	N08°27'06.47"	E77°16'38.01"
17.		N	8°26'45.01"	77°16'48.26"
18.		N	8°26'31.67"	77°16'50.23"
19.	S7	Thodalikadu Dam entry	N08°26'24.0"	E77°17'21.3"
20.		N	8°26'23.86"	77°17'3.60"
21.		N	8°26'30.83"	77°17'40.67"
22.		N	8°26'49.08"	77°17'47.16"
23.		N		
24.		N		
25.	S8	Zero point – Kodayar Main Road	Zero point – Kodayar Main N08°27'15.9"	
26.		N	8°26'57.24"	77°18'29.72"
27.		N	8°26'42.78"	77°18'47.91"
28.		N	8°26'18.00"	77°18'41.95"
29.		N	8°25'47.85"	77°18'46.26"
30.		N	8°25'26.66"	77°19'9.03"
31.		N	8°24'46.50"	77°19'26.40"
32.		N	8°25'0.35"	77°19'5.90"
33.		N	8°24'56.29"	77°18'37.67"
34.		NW	8°24'44.15"	77°18'15.28"
35.	S9		N08°24'34.04"	E77°18'07.13"
36.		NW	8°24'13.06"	77°18'12.91"
37.		NW	8°24'5.88"	77°18'33.63"
38.		NW	8°24'22.26"	77°18'43.54"
39.		NW	8°24'6.24"	77°19'4.09"
40.		NW	8°23'48.99"	77°19'16.20"
41.		NW	8°23'34.18"	77°18'54.62"
42.		NW	8°23'18.69"	77°18'52.83"
43.		NW	8°23'17.37"	77°18'32.83"
44.		NW	8°23'33.39"	77°18'20.81"
45.		NW	8°23'12.31"	77°18'23.13"
<b>ਜ</b> ੭.				
46		NW/	X ° / / 3/L /L6."	/ /* IX 3B I /
46. 47.		NW NW	8°22'54.46" 8°22'35.79"	77°18'36.17" 77°18'58.41"

C M	T1 ('C' (' C	I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	T 1	T '. 1
S. No.	Identification of	Location/Direction of	Latitude	Longitude
	Prominent points	prominent points		
49.		NW	8°22'18.95"	77°19'47.98"
50.		NW	8°22'18.56"	77°20'8.68"
51.		NW	8°21'56.82"	77°20'20.37"
52.		NW	8°21'42.28"	77°20'35.51"
53.	S10	Perunchani Ponmanai Channel	N08°21'30.19"	E77°20'57.50"
		Entrance		
54.		NW	8°21'8.39"	77°20'57.01"
55.		SW	8°20'52.86"	77°21'26.35"
56.		SW	8°20'50.83"	77°21'53.31"
57.		SW	8°20'41.62"	77°22'22.28"
58.		S	8°20'39.49"	77°22'49.34"
59.		SE	8°20'40.78"	77°23'20.91"
60.		SE	8°20'21.98"	77°23'38.12"
61.		SE	8°20'19.50"	77°24'1.80"
62.		SE	8°20'0.56"	77°24'23.90"
63.		SE	8°20'3.59"	77°24'36.15"
64.		SE	8°20'6.22"	77°25'2.93"
65.	S11	Thadikkarankonam Check post	N08°20'06.27"	E77°25'02.95"
05.	<b>511</b>	road	1100 20 00.27	D11 23 02.73
66.		SE	8°21'4.01"	77°24'48.80"
				77°25'2.03"
67.		SE	8°20'25.61"	
68.		SE	8°20'43.79"	77°24'56.07"
69.		NE	8°21'38.42"	77°24'33.52"
70.		NE	8°21'39.70"	77°23'57.73"
71.		N	8°21'51.89"	77°23'24.73" 77°23'34.12"
72.		N	N 8°22'12.93"	
73.		N 8°22'18.77"		77°23'50.84"
74.		N 8°22'34.25"		77°23'46.74"
75.		N	8°22'35.11"	77°24'11.39"
76.		NE	8°22'6.96"	77°24'27.97"
77.			NE 8°22'16.14"	
78.		NE NE		77°25'1.66" 77°25'41.66"
			8°22'20.56"	
79.		NE	8°22'8.40"	77°26'9.74"
80.		NE	8°22'33.15"	77°26'24.64"
81.		NE	8°22'32.14"	77°26'58.56"
82.		NE	8°21'48.54"	77°27'16.62"
83.		NE	8°22'10.99"	77°27'22.57"
84.		NE	8°21'10.89"	77°27'21.86"
85.		NE	8°21'3.66"	77°27'34.54"
86.	S12	Thoovachi Bridge	N08°19'41.1"	E77°27'07.8"
87.		NE	8°20'50.21"	77°26'56.09"
88.		NE	8°21'7.61"	77°26'42.20"
89.		NE NE	8°21'8.61"	77°26'13.89"
90.		NE NE	8°20'53.74"	77°25'32.82"
91.		SE	8°20'22.91"	77°25'59.35"
92.		SE	8°20'7.11"	77°26'3.13"
93.		SE	8°20'5.98"	77°25'40.81"
94.		SE	8°20'21.63"	77°25'19.37"
95.		SE	8°19'51.49"	77°25'14.16"
96.		SE	8°19'21.37"	77°25'16.61"
97.		SE	8°19'13.82"	77°25'36.98"
98.		SE	8°19'19.22"	77°25'58.32"
99.		SE	8°19'40.82"	77°26'20.54"
100.		SE	8°19'52.99"	77°26'46.89"
101.		SE SE	8°19'40.68"	77°27'28.57"
102.		SE	8°19'24.19"	77°27'44.90"
103.		SE	8°19'23.88"	77°28'1.75"

CN	T1 ('C' (' C	I (' /D' (' C	T die 1	Y '. 1
S. No.	Identification of	Location/Direction of	Latitude	Longitude
	Prominent points	prominent points		
104.		SE	8°18'55.02"	77°28'8.31"
105.		SE	8°18'48.68"	77°28'33.83"
106.		SE	8°18'43.09"	77°28'56.13"
107.		SE	8°18'31.23"	77°29'33.38"
108.		SE	8°18'4.31"	77°29'32.08"
109.		SE	8°17'52.85"	77°29'13.36"
110.		SE	8°17'50.22"	77°28'35.81"
111.		SE SE	8°17'17.56"	77°28'20.79"
111.		SE SE	8°17'17.36'' 8°17'23.66''	77°27'43.42"
	012			
113.	S13	Thellanthi Lake	N08°16'49.5"	E77°27'29.5"
114.		SE	8°17'1.10"	77°27'58.26"
115.		SE	8°16'32.66"	77°28'27.06"
116.		SE	8°16'19.28"	77°28'48.68"
117.		SE	8°16'35.91"	77°29'16.04"
118.		SE	8°16'43.09"	77°29'49.378"
119.		SE	8°16'55.62"	77°30'6.77"
120.		SE	8°17'18.92"	77°30'24.37"
121.		SE	8°16'45.56"	77°30'31.10"
122.		SE	8°16'15.79"	77°30'46.91"
123.		SE	8°16'34.48"	77°31'14.62"
124.		SE SE	8°16'1.13"	77°31'11.48"
125.		SE SE	8°16'7.02"	77°31'46.34"
126.		SE SE	8°15'53.04"	77°32'7.81"
120.				
		SE	8°16'9.37"	77°32'20.53"
128.		SE	8°15'58.18"	77°32'44.00"
129.	S14	ISRO Compound	N08°16'09.4"	E77°33'02.5"
130.		SE	8°16'32.91"	77°33'9.20" 77°32'49.90"
131.		SE		
132.		SE	8°17'22.85"	77°32'36.96"
133.		SE	8°17'54.03"	77°32'19.96"
134.		SE	8°18'19.87" 77°32	
135.		SE	8°18'44.35" 77°32'26	
136.		SE	8°18'58.85" 77°32'6.24	
137.		SE	8°19'13.67"	77°31'54.14"
138.		SE	8°19'29.24"	77°32'4.91"
139.		SE SE	8°19'51.35"	77°32'4.18"
140.		SE SE	8°20'6.22"	77°32'4.18"
141.		SE SE		
	015		8°20'42.20"	77°32'22.96"
142.	S15	Kannimar Oodai	N08°21'12.1"	E77°32'11.3"
143.		SE	8°13'43.64"	77°32'43.05"
144.		SE	8°13'16.72"	77°32'57.48"
145.		SE	8°12'46.30"	77°32'44.55"
146.		SE	8°12'19.94"	77°33'2.76"
147.		SE	8°11'48.83"	77°32'43.06"
148.		SE	8°11'28.39"	77°33'11.77"
149.		S	8°11'4.12"	77°32'41.23"
150.		S	8°10'40.71"	77°32'56.79"
151.		S	8°10'30.35"	77°32'32.84"
152.		S	8°10'0.51"	77°32'12.91"
153.		S	8°9'54.25"	77°31'47.13"
154.		<u> </u>	8°9'46.27"	77°31'33.35"
155.	S20	Maruthuvalmalai Chanel	N08°09'31.77"	E77°31'24.13"
133.	320	entrance	1100 03 31.77	E// 31 24.13
156.		S	8°9'44.62"	77°31'2.74"
157.		S	8°10'5.92"	77°31'33.29"
158.		S	8°10'28.92"	77°31'34.19"
159.		S	8°10'38.98"	77°31'53.58"
137.	1	5	0 10 30.70	77 51 55.50

S. No.	Identification of	Location/Direction of	Latitude	Longitude
5.110.	Prominent points	prominent points	Latitude	Longitude
160.	P	S	8°11'7.32"	77°32'7.45"
161.		S	8°11'37.63"	77°31'52.04"
162.		S	8°11'57.04"	77°31'22.75"
163.		S	8°12'7.95"	77°31'5.22"
164.		S	8°12'20.13"	77°30'40.81"
165.		S	8°12'31.96"	77°30'8.22"
166.	S21	Thovalai Chanel area	N08°12'39.68"	E77°29'31.79"
167.		S	8°12'54.16"	77°29'44.94"
168.		S	8°13'29.46"	77°30'17.93"
169.		S	8°13'30.10"	77°30'47.92"
170.		SE	8°13'27.58"	77°31'18.47"
171.		SE	8°14'0.44"	77°31'38.43"
172.	S22	ST Devasahayam Mount	08° 14'19.87"	E77° 31'29.86"
173.		SE	8°14'26.38"	77°31'51.39"
174.	S23	Kottakarai	N08°14'04.30"	E77° 32'03.99"
175.		S	8°16'36.35"	77°24'4.23"
176.	S17	Velimalai Peak	N08°19'16.65"	E77°23'42.05"
177.		S	8°16'28.10"	77°24'30.91"
178.		S	8°16'54.88"	77°24'30.85"
179.	S18	Chiramadam dam entry	N08°16'57.77"	E77°24'47.98"
180.		S	8°17'16.34"	77°24'4.71"
181.		S	8°17'15.67"	77°25'4.54"
182.	S19	Athirapuram village	N08°17'51.53"	E77°25'05.93"
183.		S	8°18'9.19"	77°24'45.60"
184.		S	8°18'34.78"	77°24'18.60" 77°23'55.11"
185.			S 8°19'0.91"	
186.		S	8°19'20.84"	77°23'21.81"
187.		S	8°19'30.50"	77°22'58.59"
188.	916	S	8°19'12.88"	77°22'49.00"
189.	S16	Surulacode entry	N08°19'24.47"	E77°22'50.48"
190.		S	8°18'46.69"	77°22'42.02"
191.		S	8°18'15.28"	77°22'41.80"
192. 193.		<u>S</u> S	8°18'3.86" 8°17'27.78"	77°23'11.90" 77°23'22.14"
193.		<u> </u>	8°16'45.67"	
194.	S24	Varaiyadu Mudi	8°32'41.64"	77°23'30.38" 77°17'6.33"
193.	324	NW	8°32'9.61"	77°17'6.33
190.	S25	Kodaiyar Power House		
197.	323	NW	8°31'26.67" 8°31'1.12"	77°18'44.45" 77°19'43.18"
198.		NW	8°30'37.88"	77°20'37.47"
200.	S26	Kanchaponmalai	8°30'15.96"	77°21'7.02"
201.	S27	Muthukulivayal Mottai	8°29'13.51"	77°22'46.74"
202.	021	NW	8°28'47.69"	77°23'12.02"
203.	S28	Vanamutti Malai	8°28'48.05"	77°24'32.84"
204.	S29	Turuttavaluvadan Malai	8°27'50.56"	77°25'45.32"
205.	~->	NW	8°27'47.90"	77°26'19.39"
206.		NW	8°27'26.60"	77°27'41.19"
207.	S30	Kaniyini Mottai	8°27'15.87"	77°28'21.46"
208.	S31	Nalikkal Mottai	8°26'24.68"	77°27'54.32"
209.		N	8°25'50.83"	77°27'42.75"
210.	S32	Samikuchi Malai	8°24'45.94"	77°27'54.32"
211.		N	8°24'49.93"	77°28'25.01"
212.		N	8°22'58.23"	77°29'22.50"
213.	S33	Mahendragiri	8°23'48.00"	77°28'30.69"
214.		NE NE	8°22'55.84"	77°31'22.18"
215.	S34	Tiruvannamalai	8°23'6.31"	77°30'31.35"
216.		NE	8°21'23.66"	77°32'11.06"

S. No.	Identification of	Location/Direction of	Latitude	Longitude
	Prominent points	prominent points		
217.		NE	8°23'24.08"	77°31'50.24"
218.		NE	8°22'1.37"	77°32'7.34"

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S.No	Identification of Prominent points	Location/Direction of prominent points	DMS	DMS	
1.	A	State boundary with Kerala	8°30'6"	77°12'12"	
2.		NW	8°30'6.39"	77°12'12.56"	
3.		NW	NW 8°29'16.08"		
4.		NW			
5.	В	Pathukani settlement area	8°28'35"	77°13'45"	
6.		NW	8°28'13.31"	77°14'24.84"	
7.		NW	8°27'41.92"	77°14'58.43"	
8.	С	Chittar Channel	8°27'27"	77°15'14"	
9.		NW	8°26'38.77"	77°16'9.50"	
10.		NW	8°26'3.04"	77°17'6.34"	
11.		N	8°26'42.86"	77°18'0.34"	
12.		N	8°27'7.84"	77°18'17.73"	
13.		N	8°26'1.87"	77°18'25.28"	
14.		NW	8°25'3.23"	77°18'9.53"	
15.		NW	8°23'32.60"	77°17'54.19"	
16.		NW	8°22'33.08"	77°17'54.42"	
17.		NW	8°21'49.06"	77°18'31.00"	
18.		W	8°20'55.37"	77°20'48.40"	
19.		S	8°20'25.27"	77°23'11.97"	
20.	D	Thadikkaranankonam check post	8°19'42"	77°24'56''	
21.	D	SE			
22.		SE SE			
23.		SE SE			
24.		SE SE			
25.		SE SE			
26.		SE SE			
27.		SE SE	8°17'33.79"	77°28'23.36" 77°27'49.09"	
28.		SE SE			
29.		SE SE			
30.		S	8°15'21.32"		
31.		S	8°14'52.15"	77°27'11.90" 77°27'39.06"	
32.		S	8°14'49.88"	77°28'16.62"	
33.		S	8°15'8.79"	77°28'48.10"	
34.		SE SE	8°15'4.03"	77°31'15.51"	
35.	E	ISRO	8°16'58"	77°33'53"	
36.	E	SE	8°17'40.71"	77°33'9.51"	
37.		SE SE	8°18'48.29"	77°32'35.58"	
38.		SE SE	8°19'37.58"	77°32'2.29"	
39.		SE SE	8°19'55.76"	77°32'43.48"	
40.		E E		77°32'26.32"	
41.	F	Rosmiapuram			
42.	Г	Kosmiapuram S	8°21'30"		
	G		8°12'12.62" 77°30'7		
43.	G G	NH near Kumarapuram	8°14'46" 77°34'8		
44.		S	8°9'33.96"	77°31'41.06"	
45.		S	8°14'46.64"	77°34'8.41"	
46.		S 8°14'50.57" S 8°14'4.59"		77°32'4.12" 77°31'1.15"	

S.No	Identification of Prominent points	Location/Direction of prominent points	DMS	DMS
48.		S	8°16'5.95"	77°25'19.40"
49.	Н	Gnalam road	8°18'17"	77°25'7"
50.		S	8°15'35.81"	77°24'23.06"
51.		S	8°14'55.37"	77°23'30.51"
52.		S	8°18'5.12"	77°22'25.67"
53.		S	8°15'52.45"	77°22'39.56"
54.	I	Erachakulam Amman Koil road	8°14'11"	77°25'2"
55.		S	8°20'4.62"	77°22'53.43"
56.	J	Mambalathuraiyaar Reservoir	8°14'6''	77°22'45"
57.		S	8°18'53.97"	77°24'5.68"
58.		S	8°16'29.97"	77°26'5.36"

### **ANNEXURE-IV**

# LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KANNIYAKUMARI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No.	Name of District		Name of Revenue Villages	GPS Reading
		1	Kadayal	N08 24 26.28 E77 15 59.08
		2	Thirparappu	N08 23 29.28
			ттрагарра	E77 15 33.94
		3	Thumbacode	N0 8.524212 E 77.005887
		4	D .	N08 21 15.10
			Ponmanai	E77 19 42.08
		5	Surulacode	N08 20 25.12 E77 22 29.26
		6		N08 25 37.30
			Arumanalloor	E77 40 05.90
		7	Derisanamcope	N08 17 12.59
		-	E77 20 34.75	
		8	Chiramadam	N08 16 29.30 E77 24 14.74
1	Kanniyakumari	nniyakumari 9 Velimalai		N08 14 36.80
1	Tkamin'y akaman		Velimalai	E77 20 59.46
		10	Ananthapuram	N08 18 11.17
			7 Manurapuram	E77 28 29.80
		11	Azhagiapandipuram	N08 18 28.81 E77 26 21.78
		12		N08 14 43.19
		12	Shenbagaraman puthoor	E77 29 25.15
		13	Thovalai	N08 13 51.84
			Tilovalai	E77 30 21.45
		14	Aralvaimozhy	N08 15 06.94
	<u> </u>	15		E77 31 49.59 N08 10 58.86
		13	Theroor	E77 27 52.46
		16	Mamangaan	N08 10 17.50
			Marungoor	E77 30 14.21
		17	Kulasekarapuram	N08 08 36.94

S. No.	Name of District		Name of Revenue Villages	GPS Reading
				E77 29 44.02
	Tirunelveli	18	Palavoor	N08 12 16.50 E77 34 31.94
		19	T.Karungulam	N08 34 24.61 E77 51 08.79
2		20	Levinchipuram	N08 25 42.45 E77 33 39.24
		21	Panagudi	N08 18 53.84 E77 34 03.60

### Annexure -V

### Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—

- 1. Number and date of Meetings
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
  - Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.